**संख्या-55/2026/1562/77-6-26/1666726**

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6** **लखनऊ: दिनांक 23-07-2026**

विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत बृहद श्रेणी की 06 औद्योगिक इकाईयों को एल.ओ.सी. निर्गत किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 के अंतर्गत 'प्राधिकृत समिति' की बैठक दिनांक 07.02.2026 के संशोधित कार्यवृत्त पत्र संख्या- 1131/77-6-2026/1762681, दिनांक 10.06.2026 में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में बृहद श्रेणी की निम्नलिखित 06 औद्योगिक इकाईयों को एल.ओ.सी. निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है-

| क्र.सं. | कंपनी / स्थान | निवेश (₹ करोड़) | अपेक्षित प्रोत्साहन | औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, बरेली (पश्चिमांचल)** | 60.00 | पूंजीगत सब्सिडी | प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | **केएन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रा0लि0, फिरोजाबाद (पश्चिमांचल)** | 160.2 | पूंजीगत सब्सिडी | उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
| 3. | **वीफॉर्म टेक्नोपैक लि0, वाराणसी (पूर्वांचल)** | 167.22 | नेट एसजीएसटी | उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
| 4. | **वीफॉर्म टेक्नोपैक लि0, गौतम बुद्ध नगर** | 120.97 | नेट एसजीएसटी | यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
| 5. | **प्रीमियर मेडिकल सिस्टम्स एंड डिवाइसेज प्रा0लि0, गौतम बुद्ध नगर** | 68.00 | पूंजीगत सब्सिडी | यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
| 6. | **एस्ट्रल लि0, कानपुर देहात** | 139.53 | नेट एसजीएसटी | प्राइवेट लिमिटेड |

2- उपर्युक्तानुसार सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के कार्यान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2023 दिनांक 14.04.2023 एवं 'प्राधिकृत समिति' की बैठक दिनांक 07.02.2026 के संशोधित कार्यवृत्त पत्र संख्या-1131/77-6-2026/1762681, दिनांक 10.06.2026 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा श्री राज्यपाल उक्त तालिका में अंकित इकाईयों को एल.ओ.सी. निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**आलोक कुमार**

अपर मुख्य सचिव।

**<u>संख्या-55/2026/1562(1)/77-6-26/1666726 तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
9. प्रबंध निदेशक, पिकप।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**प्रेरणा शर्मा**

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।